



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर -- 342001

email- jda@jodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612062/269935-7 Fax 021-2612093

क्रमांक: F-37/Dir(P)/LOP/2016/ 59-66

दिनांक :- 02/02/2016

ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 22.01.2016 के कार्यवाही विवरण

ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक श्री जोगाराम, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2016 को प्रातः 9.30 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यो/अधिकारियो ने भाग लिया :-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 2. श्री भोहनसिंह राजपुरोहित, उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 3. श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़, उपायुक्त (उत्तर/दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 4. श्री ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक (अभियान्त्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 5. श्री अनिल माथुर, निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, | सदस्य सचिव |

इसके अतिरिक्त श्री अनुज अग्रवाल व श्री इन्द्रजीत राठौड़, सहायक नगर नियोजक भी बैठक में उपस्थित थे।

समिति के समक्ष सदस्य सचिव द्वारा निम्नलिखित प्रकरण प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श कर उनके आगे निम्नानुसार निर्णय लिए गये :-

1. राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 69/1 की 12 बीघा के आवेदक :- श्री दलपत जागा पुत्र श्री यू.एम. जागा,
2. राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 69/2 की रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा के आवेदक श्रीमती रेखा रांका पत्नि श्री महेन्द्र रांका, श्री संजय कुमार मेहता पुत्र श्री रेखराज मेहता एवं
3. राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 69 की रकबा 12 बीघा के आवेदक- श्री संजय सिंघवी पुत्र श्री पारसराज एवं श्री महेन्द्र जैन पुत्र श्री जब्बरमल
कुल रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत।

राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 69 की रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय, पार्क एवं अन्य सामुदायिक सुविधा प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित रही हैं, जिसका राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक, दिनांक 19.11.2012 में निर्णय लिया जाकर सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय, पार्क एवं अन्य सामुदायिक सुविधा से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। प्रार्थीगणों द्वारा उक्त भूमि की तरमीम की जाकर तीन पृथक-पृथक आवेदन किये गये हैं, परन्तु भूमि का एकीकृत रूप में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण भूमि का एकीकृत रूप में आवासीय प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने पर प्रार्थीगणों द्वारा उक्तानुसार आवेदन किया गया है। प्रश्नगत भूमि के उत्तरी भाग में मास्टर प्लान में प्रस्तावित 80' सड़क दर्शित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि मौके पर पहुँच मार्ग हेतु मात्र 30' का पहुँच मार्ग ही उपलब्ध होता है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर न्यूनतम पहुँच मार्ग की उपलब्धता के अभाव में प्रकरण स्थगित करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

4. राजस्व ग्राम मोगड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 63 की रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि के आवेदक -- श्रीमती शैफाली जौहरी पत्नि श्री सुबोध कुमार एवं श्री ललित जौहरी पुत्र श्री विनोद कुमार,
5. राजस्व ग्राम मोगड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 62 की रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि के आवेदक-- श्रीमति शैफाली जौहरी पत्नि श्री सुबोध कुमार,
6. राजस्व ग्राम मोगड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 61 की रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि के आवेदक -- श्रीमती शैफाली जौहरी पत्नि श्री सुबोध कुमार एवं श्री ललित जौहरी पुत्र श्री विनोद कुमार एवं
7. राजस्व ग्राम मोगड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 62/1 की रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि के आवेदक-- श्रीमती सुलोचना जौहरी पत्नि श्री विनोद कुमार जौहरी
कुल रकबा 18 बीघा 12 बिस्वांसी भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

राजस्व ग्राम मोगड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 63 की रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि, खसरा नम्बर 62 की रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि, खसरा नम्बर 61 की रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 62/1 की रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि कुल रकबा 18 बीघा 12 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थीगणों द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन चाहा गया है। प्रार्थीगणों ने चार पृथक-पृथक आवेदन किये हैं।

तहसीलदार (राजस्व), जोधपुर तथा प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिसमें औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर अनुज्ञेय भू-उपयोग के अभाव में प्रकरण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

8. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 8/1, 8/2/1, 8/3 की रकबा 7 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- मैसर्स अनमोल प्राईम डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री घनश्याम धूत पुत्र श्री सुगनचन्द, श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि श्री भंवरलाल सोनी



राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 8/1, 8/2/1, 8/3 की रकबा 7 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि जयपुर-जैसलमेर बाईपास से चौखा (वैशाली टाऊनशिप) की ओर जाने वाले राजस्व रास्ते के दक्षिण दिशा में स्थित है, जिससे आवेदित भूमि का पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। पूर्ववर्ती अनुमोदित योजनाओं में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 80' निर्धारित किया गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में भूखण्डों के मध्य छोटी-छोटी गलियाँ प्रस्तावित की हैं, जो उचित नहीं हैं। इस हेतु योजना मानचित्र में संशोधन किया गया है। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार जयपुर-जैसलमेर बाईपास से चौखा (वैशाली टाऊनशिप) की ओर जाने वाले राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 80' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 40' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(36)नविवि/एनएचपी/2014 जयपुर, दिनांक 23.12.2015 के प्रावधानानुसार 2 हैक्टर तक स्वतन्त्र आवासों की योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ई. डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की एवज में विकासकर्ता से ली जावे।

9. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 266/3 की रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री विशनलाल, श्री नारायणराम, श्री राजूराम, श्री फूसाराम

राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 266/3 की रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयाँ (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। उक्त भूमि नन्दवान गाँव की आबादी को जाने वाले कदीभी रास्ते पर स्थित हैं, जिससे आवेदित भूमि का एप्रोच उपलब्ध होती है। रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है, परन्तु उक्त भूमि का उपयोग रास्ते के लिये किया जाता रहा है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।



सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार नन्दवान गांव की आबादी को जाने वाले कदीभी रास्ते का मार्गाधिकार 80' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 40' भूमि छोड़े जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। रास्ते एवं आवेदित भूमि के मध्य स्थित भूमि की कीमत आरक्षित दर की दो गुनी की दर से वसूल की जानी होगी। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

10. राजस्व ग्राम घिनाणा की ढाणी के खसरा नम्बर 561 व 561/7 की रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती लीला देवी पत्नि श्री नारायणराम व श्रीमती चम्पादेवी पत्नि भीयाराम।

राजस्व ग्राम घिनाणा की ढाणी के खसरा नम्बर 561 व 561/7 की रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर पाल-सांगरिया सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित हैं। उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100' निर्धारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा एकल आवासीय भूखण्ड हेतु आवेदन किया गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंन कर दिया गया है। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा प्रेषित चैकलिस्ट के अनुसार 561/7 की तरमीम नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 18(8)नविवि/Review/2014 जयपुर, दिनांक 26.08.2015 द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण व राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों के अनुरूप योजनओं में एकल पट्टा जारी किये जाने हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अनिवार्य रूप से आरक्षित किया जाना है। उक्त योजना में सुविधा क्षेत्र 100' चौड़ी सड़क पर सुविधा क्षेत्र आरक्षित किये जाने हेतु योजना मानचित्र में संशोधन किया गया है। प्रश्नगत भूमि के पूर्वी भाग में विद्युत हाईटेंशन लाईन विद्यमान है।

समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार पाल-सांगरिया सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने तथा राज्य सरकार के

31/12

पत्र क्रमांक प.18(44)नविवि/जयपुर/2014 जयपुर, दिनांक 03.02.2015 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप विद्युत हाईटेशन लाईन का ROW सुरक्षित रखे जाने हेतु विद्युत हाईटेशन लाईन के मध्य से सेप्टी कोरीडोर हेतु नियमानुसार भूमि छोड़े जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का ले-आउट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(36)नविवि/एनएचपी/2014 जयपुर, दिनांक 26.10.2015 के प्रावधानानुसार उक्त भूखण्ड में 7.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. ई.डबल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. आवासों हेतु आरक्षित किया जाना होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। प्रश्नगत खसरे का तरमीम मानचित्र प्राप्त होने के उपरान्त ही योजना मानचित्र जारी किया जावे।

11. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 53/12, 53/25 व 53/7 की रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री आनन्द भूतड़ा पुत्र श्री सोहनलाल भूतड़ा व श्री प्रमेश भूतड़ा पुत्र श्री सोहनलाल

राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 53/12, 53/25 व 53/7 की रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। उक्त बोरानाडा-सालावास सड़क से उत्तर दिशा की ओर जाने वाली 60' चौड़ी लिंक सड़क पर स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलग्न कर दिया गया है।

तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि तक पहुँच मार्ग राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर पहुँच मार्ग की उपलब्धता के अभाव में प्रकरण निरस्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

12. राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा नम्बर 28/4 की रकबा 2.0.10 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती पनिया देवी पत्नि श्री भांगीलाल
प्रकरण संख्या :- 50/14

राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा नम्बर 28/4 की रकबा 2.0.10 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि पर आवासीय एकल भूखण्ड प्रस्तावित किया गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित

श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 01.10.2015 में विचारार्थ रखा गया था, परन्तु न्यूनतम पहुँच मार्ग की उपलब्धता के अभाव में प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। अब प्रार्थी द्वारा समीपीय भूमि के योजना मानचित्र व जारी पट्टों की प्रतियाँ सलंगन करते हुए निवेदन किया है कि मौके पर उपलब्ध सड़क का मार्गाधिकार पूर्व में 60' निर्धारित किया गया है, अतः प्रश्नगत भूखण्ड को भी 60' चौड़ी सड़क से मार्गाधिकार उपलब्ध होता है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(36)नविवि/एनएएचपी/2014 जयपुर, दिनांक 23.12.2015 के प्रावधानानुसार 2 हैक्टयर तक स्वतन्त्र आवासों की योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की एवज में विकासकर्ता से ली जावे।

13. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 73/1 व 73/2 की रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा भूमि में से 12 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नि श्री मुरलीधर शर्मा

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 73/1 व 73/2 की रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा भूमि में से 12 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उक्त भूमि मुख्य बाड़मेर सड़क के पश्चिम दिशा में अन्दर की ओर स्थित है। प्रश्नगत भूमि के उत्तर दिशा से गुजरने वाली 60' चौड़ी सड़क से प्रार्थी के प्रस्तावानुसार दो भूखण्ड जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में समर्पित करने के उपरान्त आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में अतिरिक्त भूमि सम्मिलित है, परन्तु किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित नहीं है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 04.10.2013 में विचारार्थ रखा जाकर एकल आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र अनुमोदन किया गया था, जिसकी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन पुनर्गृहण की कार्यवाही की जा चुकी है। एकल पट्टा जारी करने हेतु राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अब प्रार्थनी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर उक्त

भूमि के अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन चाहा गया है, जिसमें योजना मानचित्र में विभिन्न आकार के भूखण्ड (Plotted Development) प्रस्तावित किये गये हैं।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। निदेशक आयोजना द्वारा अवगत करवाया गया कि यद्यपि प्रार्थी द्वारा नवीन रूप से आवेदित योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम है, परन्तु पूर्व में 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के आवेदन के मध्यमजर मुख्यमन्त्री जन आवास योजना--2015 के प्रावधान 1-ए की तालिका के बिन्दु संख्या 2 में वर्णानुसार उक्त योजना में आवासीय विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत क्षेत्र ई.डबल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भूखण्डों हेतु आरक्षित रखे जाने हेतु योजना मानचित्र में संशोधन किया गया है। उक्त ई.डबल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भूखण्डों का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अनुरूप किया जाना होगा। चूँकि योजना मानचित्र में प्रार्थी के स्वामित्व से अधिक भूमि सम्मिलित है एवं अतिरिक्त भूमि का स्वामित्व किसी खातेदार का होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता है, अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों अनुरूप उक्त भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए उक्त भूमि की राशि वसूल की जानी प्रस्तावित है। समिति द्वारा संशोधित ले-आउट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड समर्पित किये जाने की सुनिश्चितता की शर्त पर ले-आउट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। योजना में सम्मिलित स्वामित्व से अधिक भूमि की राशि नियमानुसार वसूल किये जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

14. राजस्व ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 74/1 की रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री भागीरथ डेयरी प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर भागीरथराम चौधरी पुत्र श्री धन्नाराम चौधरी।

राजस्व ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 74/1 की रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। उक्त मोगड़ा से सालावास डिपो जाने वाले राजस्व रास्ते के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है। पूर्ववर्ती अनुमोदित योजनाओं में उक्त राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 100' निर्धारित किया गया है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अद्वारित में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप मोगड़ा से सालावास डिपो जाने वाले राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 50' भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की

शर्त पर आवेदित भूमि का ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.18(6)नवि/Review/2014 जयपुर, दिनांक 26.08.2015 द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण व राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं में एकल पट्टा जारी किये जाने हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अनिवार्य रूप से आरक्षित किया जाना है, जिस हेतु योजना मानचित्र में संशोधन किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप में है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। प्रश्नगत भूखण्ड पर रीको/ जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 द्वारा जारी प्रावधानों के अनुरूप (दोनों में से जो भी अधिक हो) न्यूनतम सेटबैक छोड़े जाने के उपरान्त भूखण्ड में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र/निर्माण कार्य 20 प्रतिशत ही अनुज्ञेय होगा। चूंकि प्रश्नगत भूमि सालावास ऑयल डिपो से समीपीय क्षेत्र में स्थित है, अतः पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व नियमानुसार दूरी की सुनिश्चितता करनी होगी। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

प्रस्तावित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्तर्गत विद्यमान है, अतः उक्त भूमि पर प्रस्तावित कृषि आधारित लघु उद्योग की भावना के अनुरूप प्रदूषण मुक्त हो, कि सुनिश्चितता के लिये आवेदक से शपथ-पत्र लिया जावे, जिससे इस क्षेत्र का इकोलोजिकल बैलेंस (ECOLOGICAL BALANCE) सुनिश्चित हो सके। प्रकरण में न्यूनतम निर्माण कार्य की शर्त पर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे तथा नियमानुसार कृषि आधारित लघु उद्योग वातावरण मैत्री (ENVIRONMENT FRIENDLY) हो, सुनिश्चित किया जावे।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानों की भावना के अनुरूप "कृषि आधारित लघु उद्योग" हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। साथ ही उक्त भूमि पर प्रस्तावित "कृषि आधारित लघु उद्योग" सक्षम विभाग द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ही हैं, यह सुनिश्चित किया जावे तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा "कृषि आधारित लघु उद्योग" बाबत जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे। भविष्य में प्रकरण में उल्लेखित उद्देश्यों में परिवर्तन अथवा प्रावधानों में परिवर्तन के लिये सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

15. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 38/6 की कुल रकबा 1 बीघा भूमि पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री भंवरलाल पुत्र श्री मंगाराम

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 38/6 की कुल रकबा 1 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उक्त भूमि जोधपुर-बाड़मेर सड़क के पूर्व दिशा में स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 200' निर्धारित किया गया है। गौके पर एक आवासीय मकान बना हुआ है एवं एक दुकान संचालित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित

श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलमन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि यद्यपि प्रार्थी द्वारा दो अलग-अलग भूखण्डों के रूप में योजना मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, तथापि तकनीकी दृष्टि से पूरे भू-भाग का एकल भूखण्ड के रूप में ही योजना मानचित्र अनुमोदित किया जाना उचित होगा। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार जोधपुर-बाड़मेर सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) का ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पर मौके पर हुआ निर्माण यदि भवन विनियमों के विपरीत तो उक्त अनियमित निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त करना होगा एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(36)नवि/एनएएचपी/2014 जयपुर, दिनांक 23.12.2015 के प्रावधानानुसार 2 हेक्टर तक स्वतन्त्र आवासों की योजनाओं में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की एवज में विकासकर्ता से ली जावे।

16. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 992/740 मी.1 की भूमि में से रकबा 1 बीघा एकल भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री रामजीवन शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल।

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 992/740 मी.1 की भूमि में से रकबा 1 बीघा एकल भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में 100' चौड़ी सड़क एवं उत्तर व दक्षिण दिशा में 40' चौड़ी सड़कों का अंकन किया गया है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर औद्योगिक ईकाईया संचालित हैं। पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा उक्त भूखण्डों के सामने स्थित सड़कों का मार्गाधिकार 60' करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलमन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया हुआ है एवं औद्योगिक ईकाई संचालित है। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार प्रसंगत भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50', उत्तर व दक्षिण दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के

मध्य से 30' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर शेष भूमि का (एकल भूखण्ड) का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पर रीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। मौके पर हुए अनियमित निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र लिया जावे।

17. राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 295/1 व 295/8 की रकबा 1 बीघा 09 बिरवा 06 बिरवांसी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री दीपेश माथुर

राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 295/1 व 295/8 की रकबा 1 बीघा 09 बिरवा 06 बिरवांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क के उत्तर दिशा में बाईपास सड़क पर स्थित है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। आवेदित भूमि के पूर्वी भाग में एस.एस.डब्ल्यू.एस. केनाल स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में जयपुर-जैसलमेर सड़क का मार्गाधिकार 200' प्रस्तावित किया गया है एवं राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा उक्त सड़क के दोनो तरफ 75'-75' चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने के उपरान्त सड़क के दोनो तरफ 75'-75' भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखे जाने व एस.एस.डब्ल्यू.एस. केनाल की सीमा रेखा के पश्चात् 60' चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार हेतु भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र, दिनांक 25.03.2013 के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा एवं इस पर गहन वृक्षारोपण किया जाना होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(36)नविधि/एनएचपी/2014 जयपुर, दिनांक 23.12.2015 के प्रावधानानुसार 2 हैक्टर तक स्वतन्त्र आवासों की योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की एवज में विकासकर्ता से ली जावे।

18. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 567 की रकबा 37 बीघा 16 बिरवा भूमि के स्वीकृत योजना मानचित्र में संशोधन बाबत।

आवेदक :- श्री मदनलाल पुत्र श्री संगराम

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 567 की रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा भूमि का योजना मानचित्र वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर के कार्यालय पत्रांक जेडीजेड:1628:पाल, दिनांक 31.10.2007 द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त योजना मानचित्र का तत्समय खसरा मानचित्र से सुपर इम्पोजिशन की कार्यवाही नहीं की गई थी। योजना के पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त योजना मानचित्र के सुपरइम्पोजिशन की कार्यवाही के दौरान यह तथ्य आलोक में आया कि सम्पूर्ण योजना में विकय योग्य क्षेत्रफल अधिक प्राप्त हुआ है। साथ ही उक्त योजना मानचित्र स्वीकृत किये जाते समय ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु आरक्षित स्थल की Planning भी नहीं गई है। इस हेतु योजना मानचित्र पुनः तकनीकी परीक्षण हेतु आयोजना शाखा में प्रेषित किया गया।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। निदेशक आयोजना द्वारा अवगत करवाया गया कि योजना मानचित्र में अंकित अधिक विकय योग्य क्षेत्रफल को समायोजित करने हेतु योजना मानचित्र के मध्य डिस्पेन्सरी का प्रावधान किया गया है। उक्त डिस्पेन्सरी सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ी जा रही है, जिसका स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण का रहेगा एवं नियमानुसार निस्तारण किया जावेगा। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक आयोजना द्वारा किये गये अनुमोदनानुसार संशोधित योजना मानचित्र एवं ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. हेतु आरक्षित भूखण्ड का योजना मानचित्र स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्डों का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार किया जावे। वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर के कार्यालय पत्रांक जेडीजेड:1628:पाल, दिनांक 31.10.2007 द्वारा अनुमोदित योजना मानचित्र में वर्णित शेष शर्तें यथावत रहेगी।

19. राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा नम्बर 992/740 की भूमि में से रकबा 1 बीघा 08 बिस्वांसी एकल भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री नरेन्द्रमल जैन पुत्र श्री स्वर्गीय श्री सुमेरमल जैन

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा नम्बर 992/740 की भूमि में से रकबा 1 बीघा 08 बिस्वांसी एकल भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में 100' चौड़ी सड़क एवं दक्षिण दिशा में 40' चौड़ी सड़को का अंकन किया गया है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर औद्योगिक ईकाईया संचालित है। पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा उक्त भूखण्डों के सामने स्थित सड़को का मार्गाधिकार 60' करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया हुआ है एवं औद्योगिक ईकाई संचालित है। समिति

द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' तथा दक्षिण दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर शेष भूमि का (एकल भूखण्ड) का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पर रीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। मौके पर हुए अनियमित निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र लिया जावे।

20. राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा नम्बर 1592/1098 की भूमि में से रकबा 12 बिस्वा एकल भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री छोसिंह पुत्र श्री बुद्धसिंह

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा नम्बर 1592/1098 की भूमि में से रकबा 12 बिस्वा भूमि एकल भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 25' चौड़ी सड़क का अंकन किया गया है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर औद्योगिक ईकाईया संचालित है। पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा उक्त भूखण्डों के सामने स्थित सड़कों का मार्गाधिकार 60' करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट पत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया हुआ है एवं औद्योगिक ईकाई संचालित है। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर शेष भूमि का (एकल भूखण्ड) का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पर रीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। मौके पर हुए अनियमित निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र लिया जावे।

21. राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 205 की रकबा 0.04.09 बीघा, खसरा नम्बर 206/1 की रकबा 1.09.00 बीघा, खसरा नम्बर 203/1 की रकबा 0.07.18 बीघा, खसरा नम्बर 206/1 मीन की रकबा 1.01.00 बीघा, खसरा नम्बर 206/2 मीन की रकबा 1.19.00 बीघा व खसरा नम्बर 203/2 की रकबा 0.02.00 बीघा कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा 7 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री भगवानदास कलवानी व श्रीमती राधा

राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 205 की रकबा 0.04.09 बीघा, खसरा नम्बर 206/1 की रकबा 1.09.00 बीघा, खसरा नम्बर 203/1 की रकबा 0.07.18 बीघा, खसरा नम्बर 206/1



मीन की रकबा 1.01.00 बीघा, खसरा नम्बर 206/2 मीन की रकबा 1.19.00 बीघा व खसरा नम्बर 203/2 की रकबा 0.02.00 बीघा कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा 7 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि मुख्य पाली सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में मुख्य पाली सड़क का मार्गाधिकार 200' प्रस्तावित किया गया है एवं उक्त सड़क के दोनों तरफ 100'-100' चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तरमीमी नक्शा ट्रेस के एक खसरे में खसरा नम्बर अंकित नहीं है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार मुख्य पाली सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने के उपरान्त सड़क के दोनों तरफ 100'-100' भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखे जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र, दिनांक 25.03.2013 के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा एवं इस पर गहन वृक्षारोपण किया जाना होगा। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 18(6)नविदि/Review/2014 जयपुर, दिनांक 26.08.2015 द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण व राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं में एकल पट्टा जारी किये जाने हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अनिवार्य रूप से आरक्षित किया जाना है। उक्त योजना में सुविधा क्षेत्र मुख्य पाली सड़क पर आरक्षित किये जाने हेतु योजना मानचित्र में संशोधन किया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। तरमीमसुदा स्पष्ट खसरा मानचित्र, जिस पर समस्त आवेदित व समपीय खसरो का अंकन हो, प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(36)नविदि/एनएएचपी/2014 जयपुर, दिनांक 26.10.2015 के प्रावधानानुसार उक्त भूखण्ड में 7.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. ई.डबल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. आवासो हेतु आरक्षित किया जाना होगा।

22. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1096/1601 की भूमि में से रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा 10 बिस्वांसी एकल भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री पदमराज अब्बानी पुत्र श्री पुखराज अब्बानी।

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1096/1601 की भूमि में से रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा 10 बिस्वांसी एकल भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में 47'--3" चौड़ी सड़क का अंकन किया गया है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। उक्त प्रकरण पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ रखा गया था, परन्तु न्यूनतम पहुँच मार्ग की उपलब्धता के अभाव में अनुमोदित नहीं किया जा

सका था। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर औद्योगिक ईकाईया संचालित है। आवेदक द्वारा समीपीय भूखण्डों का पट्टा विलेख पूर्व में जारी होने का उल्लेख करते प्रश्नगत भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि समर्पित करने हेतु सहमति व्यक्त की है। पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा उक्त भूखण्डों के सामने स्थित सड़कों का मार्गाधिकार 60' करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया हुआ है एवं औद्योगिक ईकाई संचालित है। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर शेष भूमि का (एकल भूखण्ड) का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पर रीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। मौके पर हुए अनियमित निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र लिया जावे।

23. राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा नम्बर 1925/1601 की भूमि में से 18 बिस्वा 04 बिस्वांसी एकल भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री इरशाद अहमद पुत्र श्री अब्दुल हाई।

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा नम्बर 1925/1601 की भूमि में से 18 बिस्वा 04 बिस्वांसी एकल भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में 60' चौड़ी सड़क एवं दक्षिण दिशा में गली का अंकन किया गया है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर औद्योगिक ईकाईया संचालित है। पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा उक्त भूखण्डों के सामने स्थित सड़कों का मार्गाधिकार 60' करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया हुआ है एवं औद्योगिक ईकाई संचालित है। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के पश्चिम व दक्षिण दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60'

रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर शेष भूमि का (एकल भूखण्ड) का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पर रीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। मौके पर हुए अनियमित निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र लिया जावे।

24. राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा नम्बर 1924/1601 की भूमि में से 17 बिस्वा एकल भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री शकील अहमद पुत्र श्री अब्दूल शकूर

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा नम्बर 1924/1601 की भूमि में से 17 बिस्वा एकल भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में 60' चौड़ी सड़क अंकन किया गया है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर औद्योगिक ईकाईया संचालित है। पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा उक्त भूखण्डों के सामने स्थित सड़कों का मार्गाधिकार 60' करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया हुआ है एवं औद्योगिक ईकाई संचालित है। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के पश्चिम दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर शेष भूमि का (एकल भूखण्ड) का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पर रीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। मौके पर हुए अनियमित निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र लिया जावे।

25. राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा नम्बर 1096/740 की भूमि में से 11 बिस्वा एकल भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री अब्दुल खालिक पुत्र श्री अब्दुला उमर।

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा नम्बर 1096/740 की भूमि में से 11 बिस्वा एकल भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 25' चौड़ी सड़क अंकन किया गया है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर औद्योगिक ईकाईया संचालित है। पूर्व में

316

ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा उक्त भूखण्डों के सामने स्थित सड़को का मार्गाधिकार 60' करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया हुआ है एवं औद्योगिक ईकाई संचालित है। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर शेष भूमि का (एकल भूखण्ड) का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पर रीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। मौके पर हुए अनियमित निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र लिया जावे।

26. राजरव ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा नम्बर 992/740 मीन 2 की भूमि में से 1 बीघा एकल भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री नूर मोहम्मद

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजरव ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा नम्बर 992/740 मीन 2 की भूमि में से 1 बीघा एकल भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में 60' चौड़ी सड़क व दक्षिण दिशा में 40' चौड़ी सड़क का अंकन किया गया है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर औद्योगिक ईकाईया संचालित है। पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा उक्त भूखण्डों के सामने स्थित सड़को का मार्गाधिकार 60' करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया हुआ है एवं औद्योगिक ईकाई संचालित है। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के उत्तर व दक्षिण दिशा में स्थित सड़को का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर शेष भूमि का (एकल भूखण्ड) का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का

निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पर रीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। मौके पर हुए अनियमित निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र लिया जावे।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

27. राजस्व ग्राम जोधपुर--दक्षिण के खसरा नम्बर 1098/740/9 व 1098/740/10 की 2 बीघा 5 बिस्वा 4 बिस्वांसी एकल भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती बबली कंवर पत्नि श्री स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़, श्री वीरेन्द्रसिंह, श्री नरेन्द्रसिंह

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम जोधपुर--दक्षिण के खसरा नम्बर 1098/740/9 व 1098/740/10 की 2 बीघा 5 बिस्वा 4 बिस्वांसी एकल भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में 60' चौड़ी सड़क अंकन किया गया है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियो पर औद्योगिक ईकाईया संचालित है। पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा उक्त भूखण्डो के सामने स्थित सड़को का मार्गाधिकार 60' करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। आवेदित भूमि के योजना मानचित्र में कुछ राजकीय भूमि सम्मिलित है, जिसका अंकन योजना मानचित्र में कर दिया गया है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। योजना मानचित्र में सरकारी भूमि सम्मिलित है, जिसे योजना मानचित्र की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया हुआ है एवं औद्योगिक ईकाई संचालित है। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार राजकीय भूमि को छोड़ते हुए प्रश्नगत भूखण्ड के पश्चिम दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर शेष भूमि का (एकल भूखण्ड) का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पर रीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। मौके पर हुए अनियमित निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र लिया जावे।

28. राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा नम्बर 161 के अनुमोदित योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 40 व 41 को मौका स्थिति के अनुरूप संशोधन बाबत्

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त योजना का योजना मानचित्र प्रशासन शहरो के संग अभियान-2012 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छूट के तहत जोन स्तरीय ले-आऊट

प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 21.03.2013 में अनुमोदित किया गया है। उक्त योजना मानचित्र डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि का मौके के अनुसार सर्वे कर तैयार किया गया। डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार योजना मानचित्र में सहवन से भूखण्ड संख्या 40 व 41 की मौका स्थिति परिवर्तित कर दी गई। प्रार्थीगणों द्वारा मौका स्थिति अनुसार पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया गया है। साथ ही उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र में मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई का अंकन सही नहीं है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि भूखण्डों का मौका स्थिति एवं पंजीकृत दस्तावेजों के अनुरूप पट्टा विलेख जारी करने से समग्र योजना मानचित्र के क्षेत्र विश्लेषण में कोई अन्तर नहीं आता है। मानचित्र में उक्तानुसार संशोधन तकनीकी दृष्टि से भी उचित है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा नम्बर 161 के भूखण्ड संख्या 40 व 41 का पट्टा विलेख प्रश्नगत भूखण्ड के पंजीकृत दस्तावेजों व मौका स्थिति अनुसार जारी करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। इस हेतु मूल अनुमोदित योजना मानचित्र में तदानुसार संशोधन कर दिया जावे। साथ ही प्रश्नगत स्थल में से होकर गुजर रही मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क का अंकन गूगल मानचित्र एवं पार्ट भू-उपयोग मानचित्र पर दर्शित करने हेतु सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक को निर्देशित किया गया।


29. राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा नम्बर 99 के अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन बाबत

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त योजना का योजना मानचित्र प्रशासन शहरो के संग अभियान-2012 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छूट के तहत जोन स्तरीय ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 23.01.2014 में अनुमोदित किया गया है। उक्त योजना मानचित्र डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि का मौके के अनुसार सर्वे कर तैयार किया गया। डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार योजना मानचित्र में सहवन से भूखण्ड संख्या 611/36 से 619/28 एवं 620/74 से 628/82 की लम्बाई 45' ही अंकित की गई है, जबकि प्रार्थीगणों के पास उपलब्ध पंजीयन दस्तावेजों तथा मौके के अनुसार उक्त भूखण्डों की लम्बाई 50' है। प्रार्थीगणों द्वारा मौका स्थिति एवं पंजीयन दस्तावेजों के अनुसार पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि भूखण्डों का मौका स्थिति एवं पंजीकृत दस्तावेजों के अनुरूप पट्टा विलेख जारी करने से समग्र योजना मानचित्र के क्षेत्र विश्लेषण में कोई अन्तर नहीं आता है। मानचित्र में उक्तानुसार संशोधन तकनीकी दृष्टि से भी उचित है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा नम्बर 99 के भूखण्ड संख्या 611/36 से 619/28 एवं 620/74 से 628/82 के पट्टा विलेख प्रश्नगत भूखण्ड के पंजीकृत दस्तावेजों व मौका स्थिति अनुसार जारी करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। इस हेतु मूल अनुमोदित योजना मानचित्र में तदानुसार संशोधन कर दिया जावे।

30. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 741/2 की रकबा 3 बीघा 11 बिरवा भूमि में से 03 बीघा 05 बिरवा 08 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्रीमती शान्ति देवी पत्नि श्री सन्तोकराम।

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 741/2 की रकबा 3 बीघा 11 बिरवा भूमि में से 03 बीघा 05 बिरवा 08 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर मुख्य गुडा सड़क से पूर्व दिशा में जाने वाले राजस्व रास्ते के उत्तर दिशा में स्थित है।



उक्त सड़क का मार्गाधिकार पूर्ववर्ती अनुमोदित योजनाओं में 60' निर्धारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि के दक्षिण दिशा से होकर उच्च क्षमता की विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही हैं।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य 30' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.18(44)नविदि/जयपुर/2014 जयपुर, दिनांक 03.02.2015 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप 132 केवी विद्युत हाईटेंशन लाईन का ROW 27 मीटर रखे जाने हेतु विद्युत हाईटेंशन लाईन के मध्य से 13.5 मीटर सेपटी कोरीडोर हेतु आरक्षित किये जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(36)नविदि/एनएएचपी/2014 जयपुर, दिनांक 23.12.2015 के प्रावधानानुसार 2 हैक्टेयर तक स्वतन्त्र आवासों की योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी. आवासों की एवज में विकासकर्ता से ली जावे।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप सुविधा क्षेत्रों एवं सड़को के डिमांडेशन के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

31. राजस्व ग्राम उचियारड़ा के खसरा नम्बर 66/5/1 की रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 66/6 की रकबा 1 बीघा व खसरा नम्बर 76 की रकबा 52 बीघा 3 बिस्वा 4 बिस्वांसी कुल रकबा 54 बीघा 03 बिस्वा 04 बिस्वांसी भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री बलवन्तराम पुत्र श्री रामचन्द्र।

राजस्व ग्राम उचियारड़ा के खसरा नम्बर 66/5/1 की रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 66/6 की रकबा 1 बीघा व खसरा नम्बर 76 की रकबा 52 बीघा 3 बिस्वा 4 बिस्वांसी कुल रकबा 54 बीघा 03 बिस्वा 04 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविदि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। उक्त भूमि शिकारगढ़ होते हुए जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क को लिंक करने वाली 160' चौड़ी सड़क के पश्चिम दिशा में अन्दर की ओर स्थित है। उक्त भूमि को राजस्व ग्राम उचियारड़ा के खसरा नम्बर 71/2, 72/1 व 73 की समर्पित भूमि में से पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। उक्त भूमि के दक्षिणी-पूर्वी भाग से होकर उच्च क्षमता की विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही है।

31/12

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। निदेशक आयोजना द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 18(6)नविधि/Review/2014 जयपुर, दिनांक 26.08.2015 द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण व राजस्थान टारुनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं में एकल पट्टा जारी किये जाने हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अनिवार्य रूप से आरक्षित किया जाना है। उक्त फार्महाऊस में सुविधा क्षेत्र आरक्षित किये जाने हेतु योजना मानचित्र में संशोधन किया गया है। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार, राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.18(44)नविधि/जयपुर/2014 जयपुर, दिनांक 03.02.2015 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप 132 केवी विद्युत हाईटेंशन लाईन का ROW 27 मीटर रखे जाने हेतु विद्युत हाईटेंशन लाईन के मध्य से 13.5 मीटर सेफ्टी कोरीडोर हेतु आरक्षित किये जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त फार्म हाऊस एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अतः भविष्य में उपविभाजन अनुज्ञेय नहीं होगा तथा भूखण्ड पर 500 वर्गमीटर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।


पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप सुविधा क्षेत्रों एवं सड़को के डिमारकेशन के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

32. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1749/9/1 व 1749/1/2 की रकबा 4 बीघा 17 बिसवा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री आनन्दसिंह, श्री अशोक, श्री अनिल, श्री धीरेन्द्र

राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1749/9/1 व 1749/1/2 की रकबा 4 बीघा 17 बिसवा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर जोधपुर से मण्डोर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली रेलवे लाईन के पूर्व दिशा में स्थित हैं।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित



श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलमन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि तहसीलदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि रेलवे ट्रेक के मध्य बिन्दु से 80' दूरी पर स्थित है। समिति द्वारा रेलवे लाईन से निर्धारित दूरी के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर नियमानुसार रेलवे सीमा से 100' दूरी छोड़े जाने का विनिश्चय लिया गया। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार मौजूदा रेलवे सीमा से 100' भूमि छोड़ते हुए प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(36)नविदि/एनएचपी/2014 जयपुर, दिनांक 23.12.2015 के प्रावधानानुसार 2 हैक्टर तक स्वतन्त्र आवासों की योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की एवज में विकासकर्ता से ली जावे।

33. राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 303 की रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती पपुड़ी देवी पत्नि श्री गोपाराम।

राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 303 की रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर आंगणवा-भोपालगढ़ सड़क से उत्तर-पश्चिम दिशा में सुरपुरा जाने वाली सड़क के उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित है, जिसका मार्गाधिकार पूर्ववर्ती अनुमोदित योजनाओं में 80' निर्धारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि के उत्तरी भाग से होकर उच्च क्षमता की विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलमन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार आंगणवा-भोपालगढ़ सड़क से उत्तर-पश्चिम दिशा में सुरपुरा जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 80' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 40' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.18(44)नविदि/जयपुर/2014 जयपुर, दिनांक 03.02.2015 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप 132 केवी विद्युत हाईटेंशन लाईन का ROW 27 मीटर रखे जाने हेतु विद्युत हाईटेंशन लाईन के मध्य से 13.5 मीटर सेप्टी कोरीडोर हेतु आरक्षित किये जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(36)नविदि/एनएचपी/2014 जयपुर, दिनांक 23.12.2015 के प्रावधानानुसार 2 हैक्टर तक स्वतन्त्र आवासों की योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की एवज में विकासकर्ता से ली जावे।



34. राजस्व ग्राम दर्ईजर के खसरा नम्बर 221/1/मीन की रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री सुनिल सिंघाड़िया पुत्र श्री पूरणमल

राजस्व ग्राम दर्ईजर के खसरा नम्बर 221/1/मीन की रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत भूमि मण्डलनाथ-कड़वड़ सड़क के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविधि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप मण्डलनाथ-कड़वड़ सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 100' भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप में है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। प्रश्नगत भूखण्ड पर रीको/ जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 द्वारा जारी प्रावधानों के अनुरूप (दोनों में से जो भी अधिक हो) न्यूनतम सेटबैक छोड़े जाने के उपरान्त भूखण्ड में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र/निर्माण कार्य 20 प्रतिशत ही अनुज्ञेय होगा। प्रस्तावित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्तर्गत विद्यमान है, अतः उक्त भूमि पर प्रस्तावित कृषि आधारित लघु उद्योग की भावना के अनुरूप प्रदूषण मुक्त हो, कि सुनिश्चितता के लिये आवेदक से शपथ-पत्र लिया जावे, जिससे इस क्षेत्र का इकोलोजिकल बैलेंस (ECOLOGICAL BALANCE) सुनिश्चित हो सके। प्रकरण में न्यूनतम निर्माण कार्य की शर्त पर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे तथा नियमानुसार कृषि आधारित लघु उद्योग वातावरण मैत्री (ENVIRONMENT FRIENDLY) हो, सुनिश्चित किया जावे।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानों की भावना के अनुरूप "कृषि आधारित लघु उद्योग" हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। साथ ही उक्त भूमि पर प्रस्तावित "कृषि आधारित लघु उद्योग" सक्षम विभाग द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ही हैं, यह सुनिश्चित किया जावे तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा "कृषि आधारित लघु उद्योग" बाबत जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे। भविष्य में प्रकरण में उल्लेखित उद्देश्यों में परिवर्तन अथवा प्रावधानों में परिवर्तन के लिये सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप सुविधा क्षेत्रों एवं सड़को के डिमांडेशन के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

35. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1646/1 के भूखण्ड संख्या 129 क्षेत्रफल 206.60 वर्गगज
36. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1646/1 के भूखण्ड संख्या 130 क्षेत्रफल 206.60 वर्गगज का आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन।

आवेदक — श्रीमती लक्ष्मीरानी पत्नि श्री मधुआनन्द एवं श्रीमती प्रेमलता पत्नि श्री राजेन्द्र महलोत।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1643, 1644, 1645 व 1646 का योजना मानचित्र प्रशासन शहरो के संग अभियान-2012 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छूट के तहत जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.05.2012 में अनुमोदित किया गया है। उक्त योजना मानचित्र डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि का मौके के अनुसार सर्वे कर तैयार किया गया, जिसमें रेलवे लाईन में मध्य बिन्दु से 100' भूमि छोड़ते हुए योजना मानचित्र अनुमोदित किया गया है।

प्रार्थी द्वारा रेलवे के सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए भूखण्डों का पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया गया है। रेलवे द्वारा अनापत्ति सशर्त जारी की गई है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर रेलवे विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति में वर्णित शर्तों के अनुरूप प्रश्नगत भूखण्डों का पट्टा विलेख जारी करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

37. राजस्व ग्राम बासनी कड़वड़ के खसरा नम्बर 28 की रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती सुखी देवी पत्नि श्री मोहनलाल।

राजस्व ग्राम बासनी कड़वड़ के खसरा नम्बर 28 की रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। उक्त भूमि माणकलाव से बासनी लाछा जाने वाली सड़क के उत्तर दिशा में सड़क पर स्थित है, जिससे आवेदित भूमि का पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि में से होकर पानी की पाईप लाईन गुजरती है तथा सामने स्थित रास्ता भी राजस्व मानचित्र में दर्ज नहीं है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलेशन कर दिया गया है।



समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रश्नगत भूमि में से होकर गुजर रही पानी की पाईप लाईन, भूमि के सामने स्थित रास्ते की विधिक स्थिति व प्रश्नगत भूमि की तरमीम के सम्बन्ध में स्थित स्पष्ट होने पर प्रकरण समिति की बैठक में रखे जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

38. राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 386 की रकबा 13 बीघा 13 बिरवा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती बाली देवी पत्नि श्री चावण्डराम।

राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 386 की रकबा 13 बीघा 13 बिरवा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। प्रश्नगत भूमि की समीपीय भूमियो का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र पूर्व में अनुमोदित किया गया है, जिसमें से प्रस्तावित सड़को से आवेदित भूमि का पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट पत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर प्रश्नगत भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग, सुविधाओं एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त ही पट्टा वितेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

39. राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 388, 389 व 406 की रकबा 11 बीघा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री मुरलीधर शर्मा व श्री गौतम शर्मा

राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 388, 389 व 406 की रकबा 11 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक--प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। प्रश्नगत भूमि की समीपीय भूमियों का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र पूर्व में अनुमोदित किया गया है, जिसमें से प्रस्तावित सड़को से आवेदित भूमि का पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलमन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर प्रश्नगत भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 8 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। योजना मानचित्र में दर्शित गैर मुमकिन रास्ते की भूमि योजना के विक्रय योग्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किये जाने की सुनिश्चितता की जावे। भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग, सुविधाओ एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

40. राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 129/1 की रकबा 10 बीघा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्रीमती दुर्गा पत्नि श्री उरजाराम।

राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 388, 389 व 406 की रकबा 11 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक--प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त भूमि पर पहुँच मार्ग हेतु खसरा नम्बर 129/1 की भूमि, जो कि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन बाला दर्ज है, को उपयोग में लाया जाता है। समीपीय कृषि भूमियों के खातेदार भी इसी रास्ते



का इस्तेमाल अपनी कृषि भूमियों का पहुँच मार्ग के रूप में करते रहे हैं, अतः आवेदक को भी इस रास्ते का उपयोग करने की अनुमति प्रदत्त की जावे, तो कोई विधिक आपत्ति नहीं है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर सम्बन्धित उपायुक्त एवं विधि शाखा की अनुशंसानुसार उक्त भूमि पर पहुँच मार्ग हेतु खसरा नम्बर 129/1 की भूमि का उपयोग रास्ते हेतु किये जाने की स्वीकृति प्रदत्त करते हुए प्रश्नगत भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग, सुविधाओं एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

41. राजस्व ग्राम बागा के खसरा नम्बर 336/13 की रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री मदनलाल पुत्र श्री शंकराराम।

राजस्व ग्राम बागा के खसरा नम्बर 336/13 की रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत भूमि कालीबेरी-मण्डलनाथ सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप कालीबेरी-मण्डलनाथ सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 100' भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। प्रश्नगत भूखण्ड पर रीको/ जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 द्वारा जारी प्रावधानों के अनुरूप (दोनों में से जो भी अधिक हो) न्यूनतम सेटबैक छोड़े जाने के उपरान्त भूखण्ड में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र/निर्माण कार्य 20 प्रतिशत ही अनुज्ञेय होगा। प्रस्तावित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्तर्गत विद्यमान है, अतः उक्त भूमि पर प्रस्तावित कृषि आधारित लघु उद्योग की भावना के अनुरूप प्रदूषण मुक्त हो, कि सुनिश्चितता के लिये आवेदक से शपथ-पत्र लिया जावे, जिससे इस क्षेत्र का इकोलोजिकल बैलेंस (ECOLOGICAL BALANCE) सुनिश्चित हो सके। प्रकरण में न्यूनतम निर्माण कार्य की शर्त पर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे तथा नियमानुसार कृषि आधारित लघु उद्योग वातावरण मैत्री (ENVIRONMENT FRIENDLY) हो, सुनिश्चित किया जावे।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानों की भावना के अनुरूप "कृषि आधारित लघु उद्योग" हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। साथ ही उक्त भूमि पर प्रस्तावित "कृषि आधारित लघु उद्योग" सक्षम विभाग द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ही हैं, यह सुनिश्चित किया जावे तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा "कृषि आधारित लघु उद्योग" बाबत जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे। भविष्य में प्रकरण में उल्लेखित उद्देश्यों में परिवर्तन अथवा प्रावधानों में परिवर्तन के लिये सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग, सुविधाओं एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

42. राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 86, 97 व 113 के स्वीकृत योजना मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा पालीवाल पत्नि श्री सोहनलाल ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 86, 97 व 113 की भूमि में अवस्थित भूखण्ड संख्या 201-सी का पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया गया है। ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 18.07.2012 में उक्त आराजियात के अनुमोदित योजना मानचित्र में उक्त भूखण्ड सम्मिलित नहीं है।



समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रश्नगत स्थल का विस्तृत सर्वे तथा भूखण्ड के स्वामित्व के दस्तावेजों की जाँच कर प्रकरण समिति की बैठक में रखे जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

43. राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा नं. 151, 152, 152/1, 152/2, 152/3, 152/1 मीन एवं 152 मीन की गार्ड पत्रावली में पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान में संशोधन बाबत।

राजस्व ग्राम डिगाड़ी कलां के खसरा नं. 151, 152, 152/1, 152/2, 152/3, 152/1 मीन एवं 152 मीन का स्वीकृत ले-आउट प्लान दिनांक 15.11.2011 के डिगाड़ी चौराहे से श्रीयादे सड़क तक 100' अंकित की गई है। जबकि राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा नं. 161, के स्वीकृत ले-आउट प्लान दिनांक 21.03.2013 में डिगाड़ी चौराहे से श्रीयादे सड़क का मार्गाधिकार 60' अंकित है। जिसे 100' करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उक्त प्रकरण के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर निदेशक (आयोजना) को आगामी ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

44. राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 76, 74, 175/74, 176/74 के स्वीकृत योजना मानचित्र के भूखण्ड संख्या 312 पर इनफोरमल मार्केट के अंकन के सम्बन्ध में।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी श्री बी.एल. वैष्णव ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 76, 74, 175/74, 176/74 में अवस्थित भूखण्ड संख्या 309 से 318 के पट्टा विलेख तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा वर्ष 2006 में जारी किये गये थे, वर्ष 2014 में आयोजित एक जोन स्तरीय ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति में उक्त योजना का योजना मानचित्र संशोधित करते हुए उनके पट्टासुदा भूखण्ड पर इनफोरमल मार्केट दर्शित कर दिया गया है। प्रार्थी बैंक लोन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहता है, परन्तु उक्त भूमि योजना मानचित्र में इनफोरमल मार्केट प्रयोजनार्थ आरक्षित होने के कारण अनापत्ति जारी नहीं की जा सकती है।

उपायुक्त द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान-2012 के तहत प्रत्यायोजित एम्पावर्ड समिति की बैठक, दिनांक 13.08.2013 में उक्त आराजियात की भूमि के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि ये राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 76, 74, 173/74, 176/74, 216/74 व 220/116 का मौके की स्थिति के अनुसार तैयार सर्वे मानचित्र का भौतिक सत्यापन करवाकर, उक्त मानचित्र जोन स्तरीय ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में अनुमोदित कर, मौके पर हुई बसावट एवं पंजीयन दस्तावेजों के आधार पर भूखण्डधारियों से शपथ-पत्र प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि के पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही करे। यदि पक्षकारों में स्वामित्व को लेकर कोई विवाद है, तो स्वामित्व का निर्धारण माननीय न्यायालय द्वारा किया जावेगा। प्राधिकरण स्तर पर स्वामित्व का विवाद तय किया जाना सम्भव नहीं है।

समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में उक्त योजना के मौके की स्थिति के अनुसार तैयार सर्वे मानचित्र को जोन स्तरीय ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 24.01.2014 को



अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मौके पर हुई बसावट एवं पंजीयन दरस्तावेजों के आधार पर भूखण्डधारियों से शपथ-पत्र प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि के पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही की जानी होगी। यदि पक्षकारों में स्वामित्व को लेकर कोई विवाद है, तो स्वामित्व का निर्धारण माननीय न्यायालय द्वारा किया जावेगा। प्राधिकरण स्तर पर स्वामित्व का विवाद तय किया जाना सम्भव नहीं है।


समिति द्वारा पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य आलोक में आया कि एम्पावर्ड समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में उक्त योजना के मौके की स्थिति के अनुसार तैयार सर्वे मानचित्र को जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 24.01.2014 को अनुमोदित किये जाने के उपरान्त भी सर्वे मानचित्र में ओ.सी.एफ., इनफोरमल मार्केट, खुला स्थल हेतु भूमि आरक्षित किये जाने हेतु सर्वे मानचित्र में संशोधन किया गया।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रशासन शहरो के संग अभियान-2012 के तहत प्रत्यायोजित एम्पावर्ड समिति की बैठक, दिनांक 13.08.2013 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 76, 74, 173/74, 176/74, 216/74 व 220/118 का मौके की स्थिति के अनुसार तैयार सर्वे मानचित्र व मौके पर हुई बसावट एवं पंजीयन दरस्तावेजों के आधार पर भूखण्डधारियों से शपथ-पत्र प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि के पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 24.01.2014 में अनुमोदित योजना मानचित्र में सर्वे उपरान्त किये गये संशोधनों यथा ओ.सी.एफ., इनफोरमल मार्केट, खुला स्थल हेतु अंकित भूमि को हटाते हुए आदेश दिनांक एफ-49/90 क पश्चिम/2014/2329, दिनांक 25.06.2014 को प्रत्याहारित किया जाता है। यदि पक्षकारों में स्वामित्व को लेकर कोई विवाद है, तो स्वामित्व का निर्धारण माननीय न्यायालय द्वारा किया जावेगा। प्राधिकरण स्तर पर स्वामित्व का विवाद तय किया जाना सम्भव नहीं है।

45. तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर की राधाकृष्णपुरम् आवासीय योजना के स्वीकृत योजना मानचित्र में आरक्षित भूमि का योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत गया कि विष्णुनगर कोलोनी की गार्ड पत्रावली का अवलोकन करवाने पर यह तथ्य आलोक में आया कि विष्णुनगर कोलोनी के नागरिकों को नाले की भूमि घर से शिफ्ट करने के लिये राधाकृष्णपुरम् कोलोनी के रिक्त पड़े भूखण्ड संख्या 5 में योजना बनाई जाने हेतु तत्कालीन सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किये जाने पर तत्कालीन उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना बनाई जाकर सचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सचिव महोदय द्वारा उक्त योजना मानचित्र को ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 19.05.2011 में अनुमोदन हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त योजना मानचित्र पर उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक के हस्ताक्षर हैं, परन्तु ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 19.05.2011 के जारी कार्यवाही विवरण में उक्त भूखण्ड संख्या 5 की योजना के अनुमोदन का उल्लेख नहीं है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र के अनुसार ही आगामी आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।



46. राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 24/1, 21/1 व 22/1 की रकबा 12 बीघा भूमि के अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त योजना का योजना मानचित्र प्रशासन शहरो के संग अभियान-2012 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छूट के तहत जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 11.09.2013 में अनुमोदित किया गया है। उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुसार पट्टा विलेख जारी करते समय यह तथ्य आलोक में आया कि उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र में बिक्री योग्य क्षेत्रफल अधिक है। योजना में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र का पुनः तकनीकी विश्लेषण कर लिया गया है व अतिरिक्त बिक्री योग्य क्षेत्रफल को समायोजित करने हेतु मानचित्र के उत्तरी-पूर्वी भाग में पार्क का प्रावधान किया गया है। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य 100' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(36)नवि/एनएएवपी/2014 जयपुर, दिनांक 23.12.2015 के प्रावधानानुसार 2 हैक्टर तक स्वतन्त्र आवासो की योजनाओ में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी. आवासो की एवज में विकासकर्ता से ली जावे।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग, सुविधाओ एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

47. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1798 की भूमि के अनुमोदित योजना मानचित्र के सम्बन्ध में।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1798 व 1800/1/1 की रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि का योजना मानचित्र उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर के पत्र क्रमांक जेडीजेड:1628:मण्डोर, दिनांक 08.04.2008 द्वारा अनुमोदित किया गया है। तत्पश्चात् राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 1798 व 1800/1/1 की रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा का योजना मानचित्र जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 20.06.2013 में अनुमोदित किया गया तथा 90-ए के तहत निर्णय किया जाकर भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज की गई। उक्त दोनो अनुमोदित योजना मानचित्रों में भिन्नता है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य आलोक में आया कि वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा वर्ष 2008 में अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तत्पश्चात् प्रश्नगत भूमि का योजना मानचित्र जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 20.06.2013 में प्रश्नगत भूमि का योजना मानचित्र प्रशासन शहरो के संग अभियान-2012 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छूटो के तहत किया कर दिया गया

31/2

है। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित मानचित्र के उत्तर-पश्चिम दिशा में दर्शित भूखण्डों में भी मौके पर विसंगति है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 20.06.2013 में अनुमोदित योजना मानचित्र के मध्यनजर मौके की स्थिति, मौके पर हुई बसावट एवं पंजीयन दस्तावेजों के आधार पर भूखण्डधारियों से शपथ-पत्र प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि के शेष पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक नगर नियोजक की एक संयुक्त टीम गठित की जावे, जो मौके की स्थिति, मौके पर हुई बसावट एवं पंजीयन दस्तावेजों के आधार पर भूखण्डों को प्रमाणित करेगी, तदानुसार योजना मानचित्र में संशोधन किया जावेगा, जिसे निदेशक आयोजना व सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा।

48. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 187 व बट्टे नम्बर के अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि जोधपुर के खसरा नम्बर 187 व इसके बट्टा नम्बर का योजना मानचित्र जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 24.04.2014 में अनुमोदित किया गया। उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र में सम्मिलित खसरा नम्बर 187/1161/1205 की भूमि का विभिन्न हिस्सों में बंटवाड़ा कर प्रार्थीगणों द्वारा पृथक भूखण्ड बना लिये गये हैं एवं उक्त भूखण्डों में से कुछ भूखण्डों के पट्टा विलेख भी जारी कर दिये गये हैं। प्रार्थीगणों द्वारा शेष भूखण्डों के पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया जा रहा है।


समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने पर यह तथ्य आलोक में आया कि उक्त प्रकरण का निष्पादन उप विभाजन नियमों के तहत किया जाना था। चूँकि प्रकरण में अधिकांश पट्टा विलेख जारी कर दिये गये हैं, अतः उक्त खसरा के शेष पट्टा विलेख भी जारी किये जावे। भविष्य में राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 187 व बट्टे नम्बर के अनुमोदित योजना मानचित्र में अंकित भूखण्डों के अनुरूप ही पट्टा विलेख जारी किये जावे।

49. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1048/740 की भूमि रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा 05 बिस्वांसी एकल भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री महेश कुमार

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम जोधपुर खसरा नम्बर 1048/740 की भूमि रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा 05 बिस्वांसी एकल भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में 60' चौड़ी सड़क का अंकन किया गया है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर औद्योगिक ईकाईया संचालित है। पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा उक्त भूखण्डों के सामने स्थित सड़को का मार्गाधिकार 60' करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वाभित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वाभित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित



श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलमन कर दिया गया है।


सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया हुआ है एवं औद्योगिक ईकाई संचालित है। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर शेष भूमि का (एकल भूखण्ड) का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पर शीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। मौके पर हुए अनियमित निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र लिया जावे।

50. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1048/740 की भूमि रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा 6 बिस्वांसी एकल भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती भानी देवी

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1048/740 की भूमि रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा 6 बिस्वांसी एकल भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के पूर्व व दक्षिण दिशा में 60' चौड़ी सड़क का अंकन किया गया है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर औद्योगिक ईकाईया संचालित हैं। पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा उक्त भूखण्डों के सामने स्थित सड़को का मार्गाधिकार 60' करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलमन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया हुआ है एवं औद्योगिक ईकाई संचालित है। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के पूर्व व दक्षिण दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर शेष भूमि का (एकल भूखण्ड) का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पर शीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। मौके पर हुए अनियमित निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र लिया जावे।



51. राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 1/1 की रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 12 बिस्वा 7 बिस्वांसी भूमि भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती शैल आचार्य पत्नि श्री विनोद आचार्य।

राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 1/1 की रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 12 बिस्वा 7 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि के सामने 35' चौड़ी सड़क का अंकन किया गया है। मौके पर एक बड़ा गोदामनुमा हॉल निर्मित हैं, जो बन्द पड़ा हुआ है। प्रार्थी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि उसके द्वारा भविष्य में उक्त भवन का आवासीय उपयोग हीं किया जावेगा एवं मौके पर निर्मित भवन को तोड़कर भवन विनियमों के अनुरूप आवासीय मकान निर्मित किया जावेगा।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हैं व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। उक्त भूमि का तरभीम सुदा राजस्व मानचित्र नहीं है, परन्तु आपसी सहमति से बंटवाड़ा नोटेरी से सत्यापित हैं। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर गोदाम (वेयर हाउस) निर्मित है, लेकिन आवेदक द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना पुनः मौका निरीक्षण कर नियमों के संदर्भ में परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत करें। उपरोक्तानुसार समिति में निर्णय लिया गया।

52. राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 86 की रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा 3 बिस्वांसी भूमि भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- मैसर्स इन्द्रा डेयरी फार्म जरिये भागीदार पदम जैन, श्री किशोर जैन।

राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 86 की रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा 3 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित समीपीय भूमियों का योजना मानचित्र पूर्व में ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें से प्रस्तावित 60' व 30' चौड़ी सड़को से प्रश्नगत भूमि को घुँच मार्ग उपलब्ध होता हैं।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हैं व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त योजना मानचित्र के उत्तर दिशा में 10 फीट चौड़ा गलियारा दर्शित किया गया है, जो योजना मानचित्र में स्वामित्व से अधिक भूमि सम्मिलित होना प्रतीत होता है। चूकिं योजना मानचित्र में प्रार्थी के स्वामित्व से अधिक भूमि सम्मिलित है एवं अतिरिक्त भूमि का स्वामित्व किसी खातेदार का होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता हैं, अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों अनुरूप उक्त भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए उक्त भूमि की राशि वसूल की



जानी प्रस्तावित है। सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा ले-आउट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदनानुसार प्रश्नगत भूमि ले-आउट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त योजना मानचित्र में अंकित 60' व 30' चौड़ी सड़को को उत्तर दिशा में समीपीय भूमियो का योजना मानचित्र अनुमोदित करते समय ओर आगे बढ़ाया जाना होगा, ताकि उक्त क्षेत्र में एक बेहतर सड़क प्रतिरूप विकसित हो सके। राजकीय भूमि की राशि नियमानुसार वसूल किये जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। पूर्व में मौके पर चार दिवारी युक्त योजना है एवं पूर्व में भी ले-आउट प्लान स्वीकृत है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(36)नविधि/एनएचपी/2014 जयपुर, दिनांक 23.12.2015 के प्रावधानानुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों हेतु नियमानुसार भूमि आरक्षित रखी जावे।

53. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 166 व 166/1 की रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर होटल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री विजय भावनानी।

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 166 व 166/1 की रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर होटल प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन चाहा गया है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि मास्टर प्लान में आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में होटल गतिविधिया अनुज्ञेय नहीं है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर अनुज्ञेय भू-उपयोग के अभाव में प्रकरण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

54. राजस्व ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 149/4 व 149/8 की रकबा 01.09.08 बीघा भूमि पर पेट्रोल-पम्प प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री शहजाद खॉ पुत्र श्री यासीन खॉ

राजस्व ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 149/4 व 149/8 की रकबा 01.09.08 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित जिस पर प्रार्थी द्वारा पेट्रोल-पम्प प्रस्तावित किया गया हैं। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.10 (35) नविधि/3/2010 पार्ट-1, जयपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2012 द्वारा परिधि नियन्त्रण पट्टी में पेट्रोल-पम्प अनुज्ञेय उपयोग माना गया है। प्रश्नगत भूमि मुख्य पाली सड़क पर स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में मुख्य पाली सड़क का मार्गाधिकार 200' प्रस्तावित किया गया है एवं राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा उक्त सड़क के दोनों तरफ 100'-100' चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है। उक्त प्रकरण ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 01.10.2015 में विचारार्थ रखा जाकर MORTH की गाईड लाईन्स व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य तथा पहुँच मार्ग की उपलब्धता के सम्बन्ध में परीक्षण कर उपयुक्त पाये जाने पर समिति की बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित



श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट परपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदनानुसार मुख्य पाली सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने के उपरान्त सड़क के दोनों तरफ 100'-100' भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखे जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र, दिनांक 25.03.2013 के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित भूमि का पट्टा विलेख प्रार्थी के हक में जारी किया जा सकता है, परन्तु उक्त वृक्षारोपण पट्टी पर किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा एवं इस पर गहन वृक्षारोपण किया जाना होगा। पेट्रोल-पम्प स्थापना में इण्डियन रोड़ कांग्रेस/भवन विनियमों के मानदण्डों तथा MORIH की गाईड लाईन्स व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य की पालना सुनिश्चित की जानी होगी। पेट्रोल-पम्प स्थापना से पूर्व जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन), 2013 के प्रावधानों के अनुरूप सक्षम स्तर पर भवन मानचित्र स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

55. राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा नम्बर 42/4/6 की रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री सुनिल जैन पुत्र श्री पी. के. जैन।

राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा नम्बर 42/4/6 की रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर होटल प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन चाहा गया है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि मास्टर प्लान में आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधिया अनुज्ञेय नहीं है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर अनुज्ञेय भू-उपयोग के अभाव में प्रकरण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

56. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 243/2 की रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा भूमि के अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त योजना का योजना मानचित्र प्रशासन शहरो के संग अभियान-2012 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छूट के तहत जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 23.10.2013 में अनुमोदित किया गया है। उक्त योजना मानचित्र डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि का मौके के अनुसार सर्वे कर तैयार किया गया। मौके पर डिमारकेशन के दौरान यह तथ्य आलोक में आया कि डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार योजना मानचित्र में अंकित दिशा सूचक में दिशा के गलत अंकन के कारण मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क का अंकन सहवन से विपरीत दिशा में हो गया है, जिसमें संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

31/12

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि के योजना मानचित्र में उपरोक्तानुसार मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क का अंकन कर दिया गया है। समिति द्वारा ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनानुसार मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क को यथास्थान करते हुए जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 23.10.2013 में अनुमोदित योजना मानचित्र को अतिक्रमिit करते हुए संशोधित योजना मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

57. राजस्व ग्राम बड़ली के खसरा नम्बर 269 की रकबा 1548.8 वर्गगज भूमि पर पेट्रोल-पम्प प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री मनोज कच्छवाह पुत्र श्री दिनेश कच्छवाह

राजस्व ग्राम बड़ली के खसरा नम्बर 269 की रकबा 1548.8 वर्गगज भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित जिस पर प्रार्थी द्वारा पेट्रोल-पम्प प्रस्तावित किया गया है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.10 (35) नवि/3/2010 पार्ट-1, जयपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2012 द्वारा परिधि नियन्त्रण पट्टी में पेट्रोल-पम्प अनुज्ञेय उपयोग माना गया है। प्रश्नगत भूमि सूरसागर-केरु सड़क के उत्तर दिशा में सड़क पर स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलमन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदनानुसार केरु-सूरसागर सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने शर्त पर ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। पेट्रोल-पम्प स्थापना में इण्डियन रोड कांग्रेस/भवन विनियमों के मानदण्डों तथा MORTH की गाईड लाईन्स व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य की पालना सुनिश्चित की जानी होगी। पेट्रोल-पम्प स्थापना से पूर्व जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन), 2013 के प्रावधानों के अनुरूप सक्षम स्तर पर भवन मानचित्र स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

58. राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 119 के अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 119 के विभिन्न बट्टा नम्बर के योजना मानचित्र विभिन्न दिनांक में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किये गये, परन्तु उक्त खसरा के एक बट्टा नम्बर 119/6 का योजना मानचित्र अनुमोदित

नहीं है, जिसके अभाव में उक्त भूमि के पट्टा विलेख जारी नहीं किये जा सकते हैं। प्रार्थीगणों द्वारा उक्त भूमि के पट्टा विलेख जारी करने हेतु ताकीद की जा रही है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि वे राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा 119/6 का मौके की स्थिति के अनुसार तैयार सर्वे मानचित्र का भौतिक सत्यापन करवाकर, उक्त मानचित्र ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

59. राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 114 व 115 के अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 114 व 115 का योजना मानचित्र पीटी सर्वे के आधार पर ले-आऊट प्लान तैयार कर योजना मानचित्र जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त योजना मानचित्र का पटवारी पश्चिम से मौका अनुसार मिलान किये जाने पर कुछ विसंगतिया आलोक में आई। इस हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रशासन शहरो के संग अभियान-2012 के तहत जोधपुर विकास प्राधिकरण के लिए प्रत्यायोजित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक, दिनांक 22.05.2013 व 24.05.2013 में विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर भूखण्ड संख्या 12 का माप 62'6" गुणा 60' हैं तथा मौके पर आवेदक श्रीमती उमा खत्री पत्नि श्री भंवरलाल खत्री का कब्जा है। भूखण्ड संख्या 12 के भूमि रूपान्तरण विभाग द्वारा जारी पट्टा विलेख के अनुसार क्षेत्रफल 390 वर्गगज है, अतः समिति द्वारा प्रकरण में भूमि रूपान्तरण विभाग द्वारा जारी पट्टे का आधार मानते हुए पट्टा विलेख जारी करने का निर्णय लेते हुए तदानुसार योजना मानचित्र में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही ऐजेण्डा में वर्णित शेष बिन्दुओं के सम्बन्ध में उपायुक्त एवं सहायक नगर नियोजक मौका निरीक्षण कर दरतावेज से जाँच कर अपनी स्पष्ट राय सहित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

एम्पावर्ड समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार उपायुक्त एवं सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त हैं। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर उक्त रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया। साथ ही भूखण्ड संख्या 12 के सम्बन्ध में एम्पावर्ड समिति की बैठक, दिनांक दिनांक 22.05.2013 व 24.05.2013 में लिये गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।

60. राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा नम्बर 1 पार्ट व 2 पार्ट की रकबा 20 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- मैसर्स सनआर्ट एक्सपोर्ट जरिये भागीदार श्री मुकेश जैन पुत्र श्री मदनलाल।

राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा नम्बर 1 पार्ट व 2 पार्ट की रकबा 20 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर मुख्य पाली सड़क पर स्थित है। उक्त स्थल पर पाली सड़क का मार्गाधिकार पूर्ववर्ती अनुमोदित प्रकरणों में 160' निर्धारित किया गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं

है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण पूर्व में ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ रखा गया था, परन्तु मौके पर निर्माण विसंगति के मध्यनजर प्रकरण निरस्त कर दिया गया था। प्रश्नगत भूमि की मौका स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रकरण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

61. राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा नम्बर 273/3, 274 की रकबा 22 बीघा भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री दिनेश बूब।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा नम्बर 273/3, 274 की रकबा 22 बीघा भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 04.01.2013, 05.01.2013 व 06.01.2013 में अनुमोदित किया गया था, परन्तु राजस्व मानचित्र में खसरा की स्थिति व मौके में भिन्नता के मध्यनजर योजना मानचित्र जारी नहीं किया गया था।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रकरण के सम्पूर्ण आवश्यक तथ्यों के सम्बन्ध में परीक्षण कर ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष रखे जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

62. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1086/740 की भूमि रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा एकल भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री सत्यनारायण भाटी पुत्र श्री बच्छराज भाटी

राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1086/740 की भूमि रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा एकल भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में 120' चौड़ी सड़क का अंकन किया गया है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियो पर औद्योगिक ईकाईया संचालित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया हुआ है एवं औद्योगिक ईकाई संचालित है। समिति द्वारा संशोधित ले-आउट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये

संशोधनों के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 120' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 60' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर शेष भूमि का (एकल भूखण्ड) का औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड पर रीको द्वारा निर्धारित भवन विनियम व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। मौके पर हुए अनियमित निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र लिया जावे।

63. राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा नम्बर 35/2 की रकबा 5 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री मोतीराम पुत्र श्री धन्नाराम।

राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा नम्बर 35/2 की रकबा 5 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि जोधपुर से खारड़ा रणधीर जाने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रश्नगत भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में भूमि को छूते हुए मास्टर प्लान में प्रस्तावित 80' चौड़ी गुजर रही है। प्रश्नगत भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित समीपीय भूमियों का योजना मानचित्र पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया है, जिनमें से प्रस्तावित सड़को से प्रश्नगत भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट पत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि तक पहुँच मार्ग हेतु प्रस्तावित सड़क को उत्तर दिशा में लिंक करते हुए समीपीय भूमियों का योजना मानचित्र अनुमोदित करते समय ओर आगे बढ़ाया जाना होगा, ताकि उक्त क्षेत्र में एक बेहतर सड़क प्रतिरूप विकसित हो सके। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों के अनुसार मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क का मार्गाधिकार 80' चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(36)नवि/एनएचपी/2014 जयपुर, दिनांक 23.12.2015 के प्रावधानानुसार 2 हैक्टयर तक स्वतन्त्र आवासों की योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी. आवासों की एवज में विकासकर्ता से ली जावे।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्डों, सुविधा क्षेत्रों एवं सड़को के डिमांडेशन के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।



64. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 160 मीन की रकबा 2 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री प्रकाश कच्छवाहा पुत्र श्री भंवरलाल।

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 160 मीन की रकबा 2 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर जैसलमेर-जयपुर बाईपास सड़क से अन्तर जाने वाली 25' चौड़ी लिंक सड़क पर स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंगन कर दिया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर मात्र 25' चौड़ी लिंक सड़क से पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानानुसार किसी भी योजना के अनुमोदन हेतु न्यूनतम 40' चौड़ी सड़क की आवश्यकता है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर न्यूनतम पहुँच मार्ग के अभाव में प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

65. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नं० 1606/1096 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक - श्री मोहम्मद रमजान।

राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1606/1096 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा एकल भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में 47' चौड़ी सड़क का अंकन किया गया है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियो पर औद्योगिक ईकाईया संचालित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया हुआ है एवं औद्योगिक ईकाई एवं व्यावसायिक दुकानें संचालित है।

गौके पर औद्योगिक ईकाई के साथ-साथ मुख्य सड़क पर दुकानें निर्मित एवं संचालित होने के कारण प्रकरण का निदेशक आयोजना पुनः परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

66. राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा नम्बर 83/86 व 87/64 के अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा नम्बर 83/86 व 87/64 का योजना मानचित्र जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक

06.02.2014 में किया गया। उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र के भूखण्ड संख्या 20 के पंजीयन दस्तावेज व मौका स्थिति में भिन्नता होने के कारण उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी नहीं किया जा सका है। प्रार्थीद्वारा उक्त भूमि के पट्टा विलेख जारी करने हेतु ताकीद की जा रही है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि अनुमोदित योजना मानचित्र का भौतिक सत्यापन करवाकर, ले-आऊट प्लान के अनुमोदनानुसार मौके पर हुई बसावट एवं पंजीयन दस्तावेजों के आधार पर भूखण्डधारी से शपथ-पत्र प्राप्त कर प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही करे। तदनुसार योजना मानचित्र में संशोधन कर दिया जावे।

67. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 99/8 की रकबा 04 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री पप्पूराम पुत्र श्री जोगाराम।

राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 99/8 की रकबा 04 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत भूमि पाल गांव से सालावास रोड़ को मिलाने वाले राजस्व रास्ते के पूर्व दिशा में ओर स्थित है।


प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है व आवेदक का स्वामित्व वैध है। भूमि अवाप्ति में नहीं है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है व न ही किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलान कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। चूंकि उक्त भूखण्ड एकल भूखण्ड के रूप में है, अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होंगे। निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। प्रश्नगत भूखण्ड पर रीको/ जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 द्वारा जारी प्रावधानों के अनुरूप (दोनों में से जो भी अधिक हो) न्यूनतम सेटबैक छोड़े जाने के उपरान्त भूखण्ड में अधिकतम आच्छादित क्षेत्र/निर्माण कार्य 20 प्रतिशत ही अनुज्ञेय होगा। प्रस्तावित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्तर्गत विद्यमान है, अतः उक्त भूमि पर प्रस्तावित कृषि आधारित लघु उद्योग की भावना के अनुरूप प्रदूषण मुक्त हो, कि सुनिश्चितता के लिये आवेदक से शपथ-पत्र लिया जावे, जिससे इस क्षेत्र

का इकोलोजिकल बैलेंस (ECOLOGICAL BALANCE) सुनिश्चित हो सके। प्रकरण में न्यूनतम निर्माण कार्य की शर्त पर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे तथा नियमानुसार कृषि आधारित लघु उद्योग वातावरण मैत्री (ENVIRONMENT FRIENDLY) हो, सुनिश्चित किया जावे।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानों की भावना के अनुरूप "कृषि आधारित लघु उद्योग" हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। साथ ही उक्त भूमि पर प्रस्तावित "कृषि आधारित लघु उद्योग" सक्षम विभाग द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ही हैं, यह सुनिश्चित किया जावे तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा "कृषि आधारित लघु उद्योग" बाबत जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे। भविष्य में प्रकरण में उल्लेखित उद्देश्यों में परिवर्तन अथवा प्रावधानों में परिवर्तन के लिये सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

इसके साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक: F-37/Dir(P)/LOP/2016/ 59-66

दिनांक :- 01/02/2016

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
02. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
05. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, एन.आई.सी., जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।


निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर